कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)

राजस्व विविध संख्या – 03 / 2022

तारीख दायरा – 10 / 02 / 2022

प्रार्थी :–

1. संदीप पुत्र जयन्तिलाल जाति–सेवक, निवासी– सादडी, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिय तहसीलदार देसूरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री सुधीर कुमार श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री कैलाश ईनाणिया तहसीलदार देसूरी पेरोकार सरकार

–:: आदेश ::–

दिनांक : 22/3/2022

प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ ग्राम अणेवा की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076, नक्शाट्रेस, नजरी नक्शा, जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या नया 217 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम अणेवा के खसरा नं. 7[illegible] रकबा 1.1200 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि के आने जाने के लिये ([illegible]) [illegible] लाल स्याही से दर्शित अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 811 रकबा 44.09 हेक्टर किस्म [illegible] पहाड

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:11:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

एवं खसरा नम्बर 741 रकबा 111.38 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड मे से किनारे किनारे मांग की गई है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक /कोर्ट / 2022/ 31 दिनांक 16.02.2022 को लिखा गया।

अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक / राजस्व / 2022/ 453 दिनांक 08.03.2022 के जरिये पटवार हल्का लांपी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक डायलाना से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम अणेवा की खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 741/4 रकबा 1.1200 हेक्टर किस्म बारानी दोयम पर पंहुचने के लिय सिवायचक भूमि के खसरा नम्बर 811 रकबा 44.06 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड व खसरा नम्बर 741 रकबा 111.38 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड मे से रास्ते की मांग की है।
2. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्शाए नक्शे में मौका निरीक्षण में पाया गया कि प्रार्थी द्वारा मांगे गए रास्ते के समीप स्थित खसरा नम्बर 819 रकबा 1.84 हेक्टर किस्म गे.मु तालाब स्थित है।
3. चुंकि प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते के पास जल स्त्रोत होने के कारण यह रास्ता बारहमासी संभव नहीं है। मौके पर देखी गई चट्टानों पर लगे पानी के निशानात आधार पर उक्त प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता वर्षा के समय तालाब के पानी से भरा रहता है।

अतः प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता बारहमासी नहीं होने के कारण तथा प्रार्थी संदीप पुत्र जयन्तिलाल जाति सेवक निवासी सादडी की ग्राम अणेवा के विद्यमान खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 714/4 रकबा 1.1200 हेक्टर भूमि में जाने हेतु रिकॉर्डेड रास्ता नहीं होने कारण न्यायहित में रास्ते के अन्य विकल्प पर मौका स्थिति अनुसार विचार किया गया जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:11:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अनुसार ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 806, 808, 809 एवं 810 के समानान्तर खसरा नम्बर 811 में से जिसे नक्शे में **B** से दर्शाया गया है। जिसकी चौडाई 6 मीटर एवं लम्बाई 980 मीटर रकबा 0.5800 हेक्टर बनता है उक्त रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

तहसीलदार देसूरी द्वारा रास्ते की प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय, नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा, मौका फर्द एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 741/4 रकबा 1.1200 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतु रास्ता रेकर्ड मे दर्ज नही है। प्रार्थी को खातेदारी भूमि खसरा नं. 741/4 मे आने जाने हेतु ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 806, 808, 809 एवं 810 के समानान्तर खसरा नम्बर 811 में से 6 मीटर चौडा एवं 980 मीटर लम्बाई कुल रकबा 0.5800 हेक्टर का रास्ता दिया जाना उचित है जिसे नक्शे में **B** से दर्शाया गया है। इस हेतु प्रार्थी को नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दोगुना राशि का अनुदान भुगतान राजकोष मे जमा कराना होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि उक्त प्रस्तावित रास्ते की डी.एल.एस. दर की दोगुना राशि की गणना कर प्रार्थी को सूचित कर 6 मीटर चौडा एवं 980 मीटर लम्बे रास्ते के परिपेक्ष्य मे D.L.C की दर अनुरूप प्रस्तावित रास्ते की राशि का अनुदान प्रार्थी द्वारा जरिये चालान राजकोष मे जमा कराये जावे। प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम अणेवा के खसरा नं. 741/4 मे आने जाने हेतु खसरा नं 806, 808, 809 एवं 810 के समानान्तर खसरा नम्बर 811 में से 6 मीटर चौडा एवं 980 मीटर लम्बा कुल 5880 वर्ग मीटर का रास्ता दिया जाकर एवं राजकोष मे जरिये चालान राशि जमा होने के बाद रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किया जावे।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

आदेश आज दिनांक 22/3/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:11:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
देसूरी